1/2021 IV

01-01-2021

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

E-STAMP LOCKED BY
S.R.O. MUSAFIRKHANA
AMETHI
DATE 01.01.2021

Certificate No.	:	IN-UP20273261444981T
Certificate Issued Date	:	01-Jan-2021 01:11 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14128404/ AMETHI/ UP-AMT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14128404336402110605 51T
Purchased by	:	DHIRENDRA PRATAP SINGH SO SHAMBHU SHARAN SINGH
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	DHIRENDRA PRATAP SINGH SO SHAMBHU SHARAN SINGH
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	DHIRENDRA PRATAP SINGH SO SHAMBHU SHARAN SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

..........Please write or type below this line..........

धीरेन्द्र प्रताप सिंह

IRS 0003087588

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

Neelam
PRINCIPAL
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur (U P)

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
Manager
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur(U.P.)

Scanned with OKEN Scanner

ACE Scanner

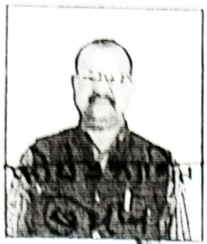

01/01/2021

01/01/2021

01/01/2021

न्यास–पत्र (ट्रस्ट डीड)

अदा स्टाम्प शुल्क :– 750/– रू0

मैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री शम्भूशरण सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट हलियापुर परगना इसौली तहसील बल्दीराय जनपद सुलतानपुर उ0 प्र0 आज दिनांक– 01.01.2021 को इस घोषणा पत्र का निष्पादन कर रहा हूँ ।

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मानव कल्याण करना है यह ट्रस्ट समाज में तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, धार्मिक कार्य, समाजसेवा व मानव कल्याण से सम्बन्धित सभी कार्य करना है, इस ट्रस्ट की स्थापना करने के लिए प्रारम्भ में मैं 5001/– रू0 (पॉच हजार एक रूपया) प्रदान कर रहा हूँ, जो इस ट्रस्ट की स्थायी निधि होगी।

यह घोषणा भी की जाती है कि सभी प्रकार के कोष, किराया, दान, अनुदान, चल सम्पत्ति प्रतिभूतियों आदि सब मिलाकर ट्रस्ट का स्थायी कोष कहलायेगी जो इस ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयोग की जायेगी । वर्तमान में इस ट्रस्ट की कोई भी चल अचल सम्पत्ति नहीं है ।

यह घोषणा किया जाता है कि यह एक जनकल्याण व जनसेवार्थ ट्रस्ट होगा, जिसमें एक लिखित प्राविधान निम्न प्रकार होगा ।

1. ट्रस्ट का नाम :– एस0 एस0 एस0 ट्रस्ट ।
2. ट्रस्ट का पता :– ग्राम व पोस्ट हलियापुर, परगना इसौली तहसील बल्दीराय जनपद सुलतानपुर । (उ0 प्र0)

इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार समय–समय पर ट्रस्ट के प्रशासनिक/शाखा कार्यालय सम्पूर्ण भारत वर्ष में कहीं भी खाले जा सकते है ।

3. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र :– सम्पूर्ण भारत वर्ष ।

हस्ताक्षर गवाहान् :—

धीरेन्द्र प्रताप सिंह

(1) सुधाकर S/o श्री मथुरा प्रसाद ग्रा०व पो० हलिया० जि० सुल्तानपुर मो० नं० 9721093129

(2) मनोज कुमार S/o राजदेव ग्राम व पो० हलियापुर सुल्तानपुर 6388450345

Neelam
PRINCIPAL
D S. Public School
Haliyapur,Sultanpur (U P)

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
Manager
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur(U.P.)

Scanned with OKEN Scanner
PDF Scanner ACE Scanner

4. ट्रस्ट का उद्देश्य :–

1. ट्रस्ट द्वारा प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं संचालन व प्रबन्धन करना ।
2. ट्रस्ट द्वारा पैरा मेडिकल, मेडिकल, चिकित्सालय, इन्जीनियरिंग, मैनेजमेन्ट, बी0टी0सी0, एन0टी0टी0, बी0एड0, एम0एड0, बी0एल0एड0, डी0एल0एड0 कम्प्यूटर प्रशिक्षण, अल्संख्यक विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक एवं अन्य व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना साथ ही हास्टल की स्थापना, संचालन व प्रबन्धन करना ।
3. ट्रस्ट द्वारा N.C.T.E./DOAEC द्वारा संचालित समस्त कोर्सों को संचालन एवं प्रबन्धन करना।
4. ट्रस्ट द्वारा U.P. Board, C.B.S.E. Board, I.C.S.E. Board, N.C.T.E. N.C.V.T. B.T.E. इत्यादि से मान्यता लेकर उनके समस्त कोर्सों का संचालन एवं प्रबन्धन करना ।
5. ट्रस्ट द्वारा प्रतिभाशाली छात्र–छात्राओं के समुचित शिक्षा व्यवस्था में भरपूर मदद करना ।
6. ट्रस्ट समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सेमिनार, सम्मेलन, खेल कूद प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता स्वास्थ्य मेला, कवि सम्मेलन, रक्तदान, नेत्रदान, शरीर दान, योगा, विपश्यना आदि एवं इससे सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
7. ट्रस्ट द्वारा धर्म के प्रचार–प्रसार हेतु पुस्तक आदि का निःशुल्क प्रकाशन कराना या उसे जन समुदाय में वितरण करना व महापुरूषों की नीतियों का समय–समय पर प्रचार प्रसार करना ।
8. ट्रस्ट द्वारा जनसमुदाय की सुरक्षा हेतु शासन एवं प्रशासन से सहयोग और समन्वय स्थापित करना ।
9. ट्रस्ट द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए शिविरों के माध्यम से शिक्षा एवं स्वास्थ्य का संचालन व प्रबन्ध करना ।
10. ट्रस्ट द्वारा इससे जुड़े समस्त व्यक्तियों के साथ कोई भी आकस्मिक घटना घटित होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
11. ट्रस्ट द्वारा जीवन व्यवसाय के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर पर कार्य करना ।
12. ट्रस्ट द्वारा जन समुदाय को शोषण से बचाने के लिए भारतीय संविधान व प्रचलित कानूनों के आधार पर हर प्रकार का सहयोग शासन प्रशासन के माध्यम से प्रदान करना।
13. विधवा–विवाह व दहेज रहित विवाह तथा सामूहिक विवाह के लिए समाज को कथाओं–प्रवचनों, गोष्ठियों के माध्यम से जाग्रत करना एवं प्रोत्साहित करना व समय–समय पर गरीब कन्याओं का विवाह करवाना ।
14. ट्रस्ट द्वारा भारत के संविधान की धारा 29 में दिये गये अधिकारों के अर्न्तगत अल्पसंख्यकों के काल कलचर एवं शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करना ।
15. ट्रस्ट द्वारा भारत के संविधान की धारा 30(1) के तहत दिये गये अधिकारों के अर्न्तगत अल्पसंख्यक चरित्र वाले स्कूल विद्यालयों सभी प्रकार के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनका संचालन एवं प्रबन्धन करना ।

धीरेन्द्र प्रताप सिंह

Neelam
PRINCIPAL
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur (U P)

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
Manager
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur(U.P.)

Scanned with OKEN Scanner

PDF Scanner ACE Scanner

आवेदन सं०: 202100912000021

न्यास पत्र

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 1

वर्ष: 2021

प्रतिफल- 5001 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह , धीरेन्द्र प्रताप सिंह
पुत्र श्री शम्भू शरण सिंह
व्यवसाय : कृषि
निवासी: हलियापुर इसौली सुलतानपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 01/01/2021 एवं 02:23:39 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भानु प्रताप सिंह
उप निबंधक :मुसाफिरखाना
अमेठी
01/01/2021

अखिलेश कुमार श्रीवास्तव
निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

https://igrsup.gov.in/igrsup/showEndorsReport_html 1/1

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
Manager
D.S. Public School
Haliyapur, Sultanpur(U.P.)

Neelam
PRINCIPAL
D. S. Public School
Haliyapur,Sultanpur (U P)

ACE Scanner

16. ट्रस्ट द्वारा ऐतिहासिक, पुरातात्विक स्थलों की सुरक्षा, सुरक्षा तथा प्राचीन धार्मिक रीतियों के अनुसार व्यवस्थित रखने का प्रचार प्रसार करना ।
17. ट्रस्ट द्वारा समाज में फैली कुरीतियों, रूढ़िवादी विचार, अन्धविश्वासों को समाप्त करने हेतु प्रचार प्रसार का आयोजन करना ।
18. ट्रस्ट द्वारा बाल एवं बालिकाओं का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, बौद्धिक, शैक्षिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक विकास करना ।
19. ट्रस्ट द्वारा ज्ञानवर्धन हितार्थ, पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना ।
20. ट्रस्ट द्वारा गरीबी अथवा किसी अन्य कारणवश शिक्षा न प्राप्त कर सकने अथवा बीच में ही छोड़ देने वाली महिलाओं, बालिकाओं हेतु संक्षिप्त पाठ्यक्रम पत्राचार कोर्स चलाना ।
21. ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास हेतु शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न शैक्षणिक तकनीकी तथा व्यवसायिक, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, त्वरित शिक्षा, स्नातक शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रवन्धकीय शिक्षा, कृषि शिक्षा, आवासीय शिक्षा आदि के संचालन हेतु भवन व अन्य की व्यवस्था कर उसका प्रबन्धन करना ।
22. ट्रस्ट द्वारा दीन असहाय एवं रोग ग्रस्त व्यक्तियों को निःशुल्क चिकित्साय हेतु औषधालय स्थापित करना तथा उनकी सहायता एवं सेवा करना ।
23. गरीब विद्यार्थियों के पठन–पाठन हेतु निःशुल्क शिक्षा, छात्रवृत्ति तथा पुस्तकीय सहायता उपलब्ध कराना ।
24. ट्रस्ट द्वारा विधवाओं, असहायों, वृद्धों एवं निराश्रित लोगों के लिए राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा जनहित के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों का कियान्वयन व प्रचार प्रसार करना एवं दहेज प्रथा, छुआ–छूत, बाल–विवाह आदि सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास करना ।
25. शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े तबकों के शैक्षिक विकास पर विशेष ध्यान देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग देना एवं शिक्षा आवश्यकता नारी शिक्षा एवं महिलाओं के समान अधिकार जैसे मुद्दों के प्रति समाज में जागरूकता लाने हेतु प्रयास करना ।
26. ट्रस्ट के द्वारा सभी धर्मों का सम्मान करना व उनके विकास के लिए कार्य करना ।
27. आर0सी0एच0 कार्यक्रम सिफसा योजना एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को सम्पादित करना । निःशुल्क चैरिटेबिल अस्पताल, परिवार कल्याण परामर्श केन्द्र व वच्चा केन्द्र की व्यवस्था करके टीकाकरण, स्वास्थ्य जॉच व उपचार करना । भारतीय चिकित्सा पद्वति का संरक्षण तथा प्रचार–प्रसार करना ।
28. गौर सेवा, गौरक्षा, गौ–संवर्द्वन, गौ–भक्ति का प्रचार प्रसार करना तथा इससे सम्बन्धित परियोजनाओं का संचालन एवं प्रवन्धन करना।
29. वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण आदि कार्यक्रम एवं सरकार द्वारा संचालित अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों में योगदान प्रदान करना।
30. ग्रामीण अंचल के लोगों के स्वास्थ्य हेतु योग और प्राकृतिक योग चिकित्सा खेलकूद इत्यादि का समय–समय पर निःशुल्क प्रशिक्षण देना ।
31. ग्रामीण स्वच्छता, स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण आवास तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधियों का संचालन करना तथा कम लागत से आवास निर्माण सम्बन्धी सरकारी सहयोग की नवीनतम जानकारी ग्रामीण अंचल की जनता तक पहुंचाना ।

धीरेन्द्र प्रताप सिंह

Neelam
PRINCIPAL
D. S. Public School
Haliyapur,Sultanpur (U.P.)

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
Manager
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur(U.P.)

Scanned with OKEN Scanner

PDF Scanner ACE Scanner

11.2021

आवेदन सं०: 202100912000021

बही सं०: 4 रजिस्ट्रेशन सं०: 1 वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, पुत्र श्री शम्भू शरण सिंह

निवासी: हलियापुर इसौली सुलतानपुर

व्यवसाय: कृषि

धीरेन्द्र प्रताप सिंह

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री सुन्दर लाल , पुत्र श्री माता प्रसाद

निवासी: हलियापुर इसौली सुलतानपुर

व्यवसाय: कृषि

पहचानकर्ता : 2 सुन्दर

श्री मनोज कुमार , पुत्र श्री राम देव

निवासी: हलियापुर इसौली सुलतानपुर

व्यवसाय: कृषि Manoj

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।

टिप्पणी :

भानु प्रताप सिंह

उप निबंधक : मुसाफिरखाना

अमेठी

अखिलेश कुमार श्रीवास्तव

निबंधक लिपिक

प्रिंट करें

धीरेन्द्र प्रताप सिंह

Manager
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur(U.P.)

Neelam
PRINCIPAL
D S. Public School
Haliyapur,Sultanpur (U P)

Scanned with OKEN Scanner

PDF Scanner ACE Scanner

32. ट्रस्ट द्वारा विद्यालय परिसर में युवक व युवतियों एवं बालक, बालिकाओं के लिए खेल कूद व्यायाम शाला तथा मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना।
33. ट्रस्ट द्वारा बालक, बालिकाओं एवं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए टंकण, आशुलिपि कम्प्यूटर, शार्टहैण्ड, फोटोग्राफी आदि का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाना ।
34. ट्रस्ट द्वारा वृद्ध असहाय तथा अक्षम महिलाओं एवं पुरुषों हेतु वृद्धाश्रम, संरक्षण गृह आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।
35. ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए प्रदूषण नियंत्रण का प्रयास करना । नदियां जलाशयों की सफाई मलिन बस्ती का सुधार, वृक्षारोपण आदि के कार्यक्रम चलाना ।
36. ट्रस्ट द्वारा समाजोत्थान हेतु संगोष्ठियों, परिचर्चाओं आदि का आयोजन करना एवं बालकों के कल्याण हेतु समय–समय पर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जाने वाली विभिन्न योजनाओं का जनमानस में प्रचार प्रसार करना ।
37. ट्रस्ट द्वारा सम्प्रदायिकता के विनाश एवं राष्ट्रीय एकता अखण्डता एवं बन्धुत्व के प्रचार हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
38. ट्रस्ट द्वारा महिलाओं के लिए विशेष उद्यमिता विकास अभियान चलाने हेतु तकनीकी व गैर तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर उन्हें प्रशिक्षण देना व प्रशिक्षण देकर व्यवसाय करने हेतु आत्मनिर्भर बनाना तथा महिलाओं के लिए सरकारी सहायता के प्रति जागरूक करना तथा महिला/दलित महिला के श्रम का श्रमार्जन करना ।
39. ट्रस्ट द्वारा विकलांगों, मूक बाधिरों, नेत्रहीनों, मंद बुद्धि, मानसिक रोगियों व कुष्ठ रोगियों के कल्याण हेतु सामाजिक शैक्षिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करने हेतु शिक्षा व समान अवसर अधिकार संरक्षण व पूर्ण भागीदारी पर जोर देना । शिक्षा, तकनीकी, शिक्षा रोजगार परक प्रशिक्षण, आरक्षण, अनुसंधान व मानवशक्ति विकास स्वच्छ शान्त वातावरण सुरक्षा का दायित्व सौंपना, जिससे ये लोग समाज में प्रतिस्थापित हो और स्वावलम्बी बन सके ।
40. ट्रस्ट द्वारा हस्तकरघा, शक्तिकरघा, पापड़ उद्योग, नमकीन, खाद्य तेलधानी, हस्तशिल्प, शिल्पकला, मूर्तिकला, पेन्टिंग, हस्तकला, हस्तकागज, वस्त्र उद्योग, चिकन होजरी, सिलाई, कढ़ाई, जूट सामग्री, रेडीमेड गारमेन्ट्स, सब्जी मसाला, पैकिंग, चर्मकला उद्योग, मूर्तिकला, चित्रकला, काष्ठकला, हाथ कागज, लिफाफा, फाइवर, गिलास, मशरूम कल्टीवेशन, रेशम आदि का निर्माण करके उसका क्रय विक्रय करना।
41. ट्रस्ट द्वारा नशामुक्ति के विरूद्ध लोगों को समय–समय पर जागरूक करना उसकी रोकथाम करने हेतु मुहिम चलाना व उन्हें उसके दुस्प्रभावों से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में प्रचार प्रसार करना ।
42. ट्रस्ट द्वारा गांवो में किसानों, मजदूरों, शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों व महिलाओं को मधुपक्खी पालन तथा पशुपालन का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराना तथा मधुमक्खी पालन सम्बन्धी समस्त उपकरणों को बनाना तथा बनाने की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना एवं तकनीकी शोध करना ।
43. खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग आयोग, जिला उद्योग केन्द्र एवं राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के द्वारा संचालित समस्त ग्राम उद्योगों की स्थापना करना ।
44. ट्रस्ट द्वारा उपभोक्ता संरक्षण हेतु किसानों की सुविधा के लिए भण्डार गृह आदि सुविधा उपलब्ध कराना व उसका संचालन एवं प्रबन्धन करना।

PRINCIPAL
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur (U.P.)

Manager
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur(U.P.)

Scanned with OKEN Scanner

PDF Scanner ACE Scanner

45. ट्रस्ट द्वारा जनहित के कार्यों हेतु ऐसा कार्य करना जो ट्रस्टीगण निर्णय लें ।
46. ट्रस्ट को भारत सरकार, राज्य सरकार, सांसदों, विधायकों, स्थानीय निकायों आदि के निधियों से नव निर्माण सहयोग से विभिन्न संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार होगा ।
47. न्यासीकरण संस्था की अनुशंसा पर ऐसी वृत्तियों एवं छात्रवृत्तियों एवं निबन्धनों पर वे जो उचित समझे दे सकेगा जो कि न्यास की विषयवस्तु की आय के समानुपातिक हो ।
48. किसी न्यासी की मृत्यु/अक्षमता के कारण उसका उत्तराधिकारी न्यासी मण्डल में होने वाली रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा । यह व्यवस्था सदस्यों हेतु नहीं होगी ।
49. न्यास के प्रशासन में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का निर्णय तत्समय का कार्यकारी न्यासियों के बहुमत द्वारा किया जायेगा ।
50. न्यासीगण न्यास की विषयवस्तु के निकाय में से या उसके किसी भाग के विक्रय के आगाम में से ऐसी धनराशि जैसे कि न्यासियों द्वारा सर्वसम्मति से संकल्पित की जाए, भवन आदि के निर्माण में तथा अन्य पूंजीगत व्यय करने के लिए खर्च कर सकेंगें ।
51. न्यास समिति रजिस्ट्रीकरण अधिनियम व भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के अधीन नियमित निकाय है। जो उसके नियमों और उपनियमों द्वारा अधिशासित होगा ।
52. न्यास न्यासियों के शुल्क अनुदान, उपहार, दान तथा अन्य धनराशियों का जो उसे प्राप्त होगी लेखा देगी और किसी स्त्रोत से प्राप्त होने वाली निधियों के बारे में न्यासियों के निर्देश का पालन करेगें ।
53. जब तक न्यासकर्ता जीवित रहे और इस मामले में काम करने का योग्य रहे तब तक वह न्यासियों में एक न्यासी रहेगा और न्यासियों तथा न्यास की समस्त बैठकों का सभापतित्व करने का अधिकारी होगा उसका निर्णय मत भी होगा ।
54. ट्रस्ट के सम्पत्ति को क्रय करने एवं विक्रय करने, लीज एवं किराये पर अन्य व्यक्तियों, समितियों एवं संस्थाओं को देने और लेने अधिकार होगा । यह कि प्रबन्धक को यह अधिकार इस विलेख द्वारा प्रदत्त किया जाता है कि वह राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण एवं बैंक गारण्टी प्राप्त करने हेतु ट्रस्ट की वर्तमान व भविष्य में प्राप्त (Aquire) होने वाली सम्पत्ति को संयुक्त रूप से मूल विक्रय विलेख आदि बैंक में रखकर बन्धक (Mortgage) कर सकेंगे ।
55. ट्रस्ट को अपनी संस्थाओं को संचालित करने के लिए बैंको, वित्तीय संस्थाओं, स्थानीय निकायों अन्य संस्थाओं समितियों व्यक्तियों तथा प्राइवेट कम्पनियों से ऋण एवं बैंक गारण्टी लेने का अधिकार होगा कि पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, महिला शिक्षा, अनुसूचित जाति/जनजातियों की शिक्षा एवं दिव्यांगों की शिक्षा पाठ्यक्रमों हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण, भवन निर्माण व अन्य उपकरण हेतु तथा बैंक गारण्टी आवश्यकतानुसार समय समय पर प्राप्त कर सें मुख्य ट्रस्टी ऋण एवं बैंक गारण्टी आवश्यकतानुसार समय समय पर प्राप्त कर सकेंगे मुख्य ट्रस्टी ऋण एवं बैंक गारण्टी किसी भी राष्ट्रीय बैंक से प्राप्त कर सकेंगे ।
56. ट्रस्ट की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार अथवा आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों के 1/3 संख्या की मॉग पर किसी भी समय बैठक आहूत करने का अधिकार होगा ।
57. यदि कोई समिति (संस्था) ट्रस्ट में विलय होना चाहे तो ट्रस्ट को पूर्ण अधिकार होगा कि वह संस्था को अपने में विलय कर ले ।

वीरेन्द्र प्रताप सिंह

वीरेन्द्र प्रताप सिंह
Manager
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur(U.P.)

PRINCIPAL
D S. Public School
Haliyapur,Sultanpur (U P)

Scanned with OKEN Scanner

PDF Scanner ACE Scanner

58. न्यास के मुख्य न्यासी ही ट्रस्ट का प्रबन्धन करेंगे ।
59. न्यासी बोर्ड में पदाधिकारियों का चयन मुख्य न्यासी के द्वारा बहुमत से किया जायेगा ।
60. ट्रस्ट के राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण एवं बैंक गारण्टी प्राप्त करने पर बैंक के सिक्योरिटी दस्तावेज व अन्य दस्तावेजों पर ट्रस्ट के प्रबन्धक/ट्रस्टी सचिव संयुक्त या एकल रूप से हस्ताक्षर करेंगे।
61. ट्रस्ट की चल अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति ट्रस्टगणों के दान द्वारा ट्रस्ट के आजीवन सदस्यों व अन्य सदस्यों व समाज सेवियों द्वारा दान से प्राप्त (Aquire) होगी एव क्रय भी की जा सकती है व पट्टे पर भी ली जा सकती है ।
62. ट्रस्ट मानव समाज के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना जैसे कृषि कार्य करना शिक्षण संस्थान स्थापित करना । गौशाला आदि का संचालन करना ।
63. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं का नामकरण करके उसकी स्थापना करना एवं अलग–अलग शिक्षण संस्थाओं की अलग–अलग कमेटी गठित करके संचालित करना ।
64. मुख्य ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट की किसी भी सम्पत्ति को किराये या लीज पर देवें तथा आवश्यकता पड़ने पर किसी की सम्पत्ति को लीज पर लेवें ।
65. ट्रस्ट द्वारा मन्दबुद्धि, विकलांग/दिव्यांगों के लिए विद्यालय का संचालन करना ।
66. समाज के बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना एवं संचालन करना ।
67. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछले अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा एवं कम्प्यूटर सूचना प्राद्योगिकी के क्षेत्र में निःशुल्क शिक्षा/कोचिंग प्रदान कर उन्हें विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित कराने हेतु उचित ज्ञान एवं मार्ग दर्शन देना ।
68. युवाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए समय–समय पर स्तरीय खेल कूद कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा व्यायाम शाला, विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय, धमार्थ चिकित्सालय प्रयोग शाला आदि की स्थापना व संचालन करना ।
69. राष्ट्रीय भावना जागृत करने हेतु साहित्यिक व धार्मिक भावनाओं के उत्थान हेतु जनहित में पठन पाठन सामग्री पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन वितरण, सांस्कृतिक सामाजिक धार्मिक व शैक्षिक कार्यक्रमों का संचालन करना ।
70. महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके ऊपर होने वाले अत्याचारों के विरूद्व संगठित करना उन्हें परामर्श देना महिला कर्मचारियों के शोषण के विरूद्व जनआंदोलन करना । एवं कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यालय में उत्पीड़न के विरूद्व उचित वातावरण बनाना व केन्द्रों का संचालन करना तथा इन्हीं कार्यों के लिए समितियों का गठना करना ।
71. एड्स के नियंत्रण के लिए जनता में जागरूकता एड्स की जॉच एवं इसके रोगियों के लिए चिकित्सा व्यवस्था प्रदान करना, इण्टरनेशनल एड्स वैक्सीन आदि की व्यवस्था करना तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करना ।
72. कृषकों को प्रशिक्षण सुविधा एवं तात्कालिक समस्याओं के निराकरण हेतु आत्मनिर्भर बनाना ।
73. भूमि संरक्षण एवं भूमि उत्पादकता बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय करना एवं योजनाओं का संचालन करना ।
74. गौ सेवा की मान्यता के अनुसार कार्य करना असहाय एवं निर्बल अथवा बीमार पशुओं की देखभाल एवं समुचित चिकित्सा की निःशुल्क व्यवस्था करना ।

धीरेन्द्र प्रताप सिंह

Neelam
PRINCIPAL
D. S. Public School
Haliyapur,Sultanpur (U.P.)

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
Manager
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur(U.P.)

Scanned with OKEN Scanner

PDF Scanner ACE Scanner

75. दहेज प्रथा अन्ध विश्वास एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास करना ।
76. विश्व बैंक केन्द्र, राज्य सरकारों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न निर्माण कार्य सड़क निर्माण कार्य, सप्लाई कार्य, बागवानी कार्य, स्वच्छता व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का प्रचार प्रसार एवं संचालन करना ।
77. उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना ।
78. सामाजिक, आर्थिक, कृषि तकनीकी, पर्यावरण जनसंख्या आदि क्षेत्रों में अनुसंधान/सर्वे कार्य करना एवं सरकारी/गैर सरकारी/निजी संस्थाओं द्वारा आयोजित अनुसंधान एवं सर्वे कार्यक्रमों का संचालन एवं कियान्वयन ।
79. प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना तथा इससे सम्बन्धित योजना के अर्न्तगत आने वाले सभी सामाजिक कार्यों का संचालन करना ।
80. अस्वस्थ्य कतारण में रहने वाले निराश्रित बच्चों के पूर्नवास एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना तथा बाल रंग मंच का आयोजना करना ।
81. रोजगार उपलब्ध कराने व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करना ।
82. सांस्कृतिक एवं धार्मिक महत्व के स्थलों को पर्यटन केन्द्रों में परिवर्तित करना ।
83. गृह उद्योग एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करके अगरबत्ती एवं मोमबत्ती आदि एवं खाने योग्य मसाला व चायपत्ती, अन्य समस्त घरेलू वस्तुओं इत्यादि का निर्माण करना एवं उसका विक्रय करना ।
84. टिम्बर स्टोर/रेस्टोरेन्ट/मॉल/अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की स्थापना ट्रस्ट की आय में वृद्वि हेतु करना ।

5. <u>ट्रस्ट के धन का विनियोग</u> :—

1. ट्रस्ट के धन का विनियोग आयकर विधान की धाराओं एवं अन्य सम्बन्धित प्रावधानों के उद्देश्यों के लिए किया जायेगा ।
2. उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना एवं व्यय करना, सहायता लेना व देना, ब्याज रहित व ब्याज सहित ऋण लेना व देना, निर्माण करना, रेहन रखना लीज पर देना व लेना, बैंक व्यवहार करना एवं जो भी आवश्यक कार्य हो उन्हें करना ।
3. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु देश विदेश से दान व ऋण, कय विनियम, किराये पर या अन्य किसी प्रकार से भूखण्ड या कोई चल या अचल सम्पत्ति प्राप्त करना ।
4. ट्रस्टे के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की किसी भी चल या अचल सम्पत्ति का कय, विकय प्रबन्ध हस्तांतरण, विनियम, बन्धक, दृष्टि बन्धक, पट्टे गिरवी या किसी भी भांति से उपयोग में लाना ।
5. अपने समस्त कार्यों हेतु ट्रस्ट के धन का विनियोग करना जो ट्रस्ट एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों के हित में हो अर्थात लाभकारी हो ।

6. <u>ट्रस्ट मण्डल</u> :—

1. ट्रस्ट का एक स्थायी मण्डल होगा, जिसमें सदस्यों की संख्या न्यूनतम 5 (पॉच) होगी।
2. ट्रस्ट में नामित सदस्यों की नियुक्ति भी आवश्यकतांनुसार की जा सकती है ।

धीरेन्द्र प्रताप सिंह

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
Manager
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur (U.P.)

Neelam
PRINCIPAL
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur (U P)

Scanned with OKEN Scanner

PDF Scanner ACE Scanner

3. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी सरकारी/गैर सरकारी मामलों में अथवा किसी वित्तीय संस्था या बैंक से ऋण लेने की दशा में मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के हस्ताक्षर द्वारा समस्त दस्तावेजों निष्पादन किया जायेगा ।
4. ट्रस्ट के स्थायी, अस्थायी एवं नामित सदस्यों की नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के निर्णय से ही की जायेगी ।
5. किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर द्वारा दिया गया निर्णय ही मान्य होगा ।
6. ट्रस्ट मण्डल (कोरम) के द्वारा लिये गये सभी निर्णयों एवं कार्यों का कियान्वयन ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की सहमति के बाद ही मान्य होगा ।
7. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्यक्ष की अनुमति से ट्रस्ट मण्डल (कोरम) विभिन्न समूहों (यूनिटों) का गठन कर सकेगा ।
8. ट्रस्ट मण्डल मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर के अनुमोदन से ट्रस्ट के कार्यों के सुचारू रूप से कियान्वयन हेतु नियमावली बना सकता है एवं उसे जारी कर सकता है ।

7. **बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (ट्रस्ट मण्डल) के अधिकार एवं कर्तव्य :—**

1. पूर्व मीटिंग की कार्यवाही की स्वीकृति देना ।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर द्वारा रखी गयी वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करके उसे पास करना।
3. आगामी वर्ष के बजट पर चर्चा करके उसे पास करना ।
4. ट्रस्ट की नियमावली में मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर द्वारा किये गये संशोधन को ट्रस्ट के हित में मंजूरी देना ।
5. किसी ऐसे मामले के बारे में कार्यवाही करना जिसे कार्यवाही हेतु मीटिंग में पेश किया गया हो ।
6. किसी विशेष आवश्यकता के लिए मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की सहमति से सब कमेटी बनाना ।

8. **ट्रस्ट मण्डल :—**

मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की अध्यक्षता के अर्न्तगत कार्य करने वाले ट्रस्ट समूह (ट्रस्ट मण्डल कहलायेगा ।

9. **बैठक :—**

ट्रस्ट मण्डल की सामान्य बैठक कभी भी तीन दिवस की लिखित सूचना पर एवं विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व लिखित सूचना पर बुलाई जा सकती है ।

10. **कोरम :—**

बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के कुल वैध सदस्यों में से मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की उपस्थिति कोरम मानी जायेगी ।

धीरेन्द्र प्रताप सिंह

PRINCIPAL
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur (U.P.)

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
Manager
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur(U.P.)

Scanned with ACE Scanner

PDF Scanner ACE Scanner

11. ट्रस्ट की सदस्यता :–

हर वह स्त्री अथवा पुरूष जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है एवं किसी न्यायालय द्वारा दण्डित न किया गया हो, पागल अथवा दिवालिया न घोषित हो, मैनेजिंग ट्रस्टी / मैनेजर के अनुमोदन से ट्रस्ट का सदस्य बनाया जा सकता है ।

12. ट्रस्टीज के प्रकार :–

1– **स्थायी सदस्य** :– जो व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा निर्धारित नियमतः शुल्क एकमुश्त अदा करेगा एवं मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक के हस्ताक्षर द्वारा उसको सदस्य बनाने की मंजूरी दी जायेगी, वह ट्रस्ट का स्थायी सदस्य होगा, उसका कार्यकाल आजीवन होगा ।

2– **अस्थायी सदस्य** :– जो व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा निर्धारित वार्षिक शुल्क अदा करेगा एवं मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षर से उसको सदस्य बनाने की मंजूरी दी जायेगी उसका कार्यकाल मात्र एक वर्ष का होगा, उसकी नियुक्ति भी सम्भव होगी, परन्तु उसकी भूमि का मात्र परामर्श देने की होगी ।

13. रिक्त स्थानों की पूर्ति :–

ट्रस्ट मण्डल के अर्न्तगत समय से पहले अचानक किसी पदाधिकारी या सदस्यों का स्थान रिक्त होने पर उसकी पूर्ति मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक की अनुमति से शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए किया जायेगा एवं कार्यकाल पूरा होने पर उसकी नियुक्ति उस पद पर आजीवन स्थायी अथवा जिस व्यक्ति का स्थान खाली हुआ है उसके स्थान पर उसके उत्तराधिकारी अथवा उसके द्वारा मृत्यु पूर्व नामित व्यक्ति की नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक की सहमति से किया जायेगा । बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक की मृत्योपरान्त उनके विधिक वारिस ही मैनेजिंग ट्रस्टी / प्रबन्धक / प्रथम न्यासी उक्त पद पर की जायेगी ।

14. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक कार्य करना।
2. ट्रस्ट की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना / करवाना ।
3. ट्रस्ट की चल एवं अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना ।
4. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हर वो कार्य करना जिससे ट्रस्ट का लाभ हो।
5. ट्रस्ट को आगे बढ़ाने के लिए आयकर अधिनियम 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एसी के अर्न्तगत रजिस्ट्रेशन कराना व उनसे मिलने वाली सुविधाओं को प्राप्त करना ।
6. आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन करना ।

धीरेन्द्र प्रताप सिंह

Neelam
PRINCIPAL
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur (U P)

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
Manager
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur(U.P.)

Scanned with OKEN Scanner
ACE Scanner

15. ट्रस्ट मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य :–

मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक :—

1. ट्रस्ट के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना ।
2. ट्रस्ट का मुख्य कार्यकारी होगा ।
3. बिल एवं बाउचरों पर हस्ताक्षर करना ।
4. कर्मचारियों को नियुक्ति, पदोन्नति एवं सेवामुक्ति करना ।
5. पारित बजट के अर्न्तगत व्यय को स्वीकृति प्रदान करना ।
6. ट्रस्ट का कार्यालयी प्रबन्ध देखना ।
7. ट्रस्ट के सदस्यों एवं कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजनाऍ बनाना ।
8. ट्रस्ट से जुड़ी प्रत्येक कमेटियों/यूनिटों (जिसमें प्रत्येक प्रकार की कमेटियॉ/यूनिटें सम्मिलित है) का संचालन एवं प्रबन्ध करना ।
9. प्रशासकीय कार्यों के दायित्वों का निर्वाहन करना ।
10. ट्रस्ट द्वारा अर्जित चल एवं अचल सम्पत्ति की देख–रेख व सुरक्षा करना ।
11. समस्त संस्थाओं/एजेन्सियों/विभागों/मंत्रालयों से सम्बन्धित समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना ।
12. पक्ष विपक्ष के मुकदमों की पैरवी करना ।
13. ट्रस्ट के वित्तीय मामलों में निर्णय लेना ।
14. ट्रस्ट के निर्णयों को कार्यान्वित करना ।
15. समस्त, सदस्यों, कर्मचारियों को दायित्व सौंपना, उनके कार्यक्षेत्र एवं दायित्वों में परिवर्तन, परिवर्धन करना ।
16. ट्रस्ट के हितों के विरूद्व कार्य करने पर किसी भी सदस्य/पदाधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही करना अथवा ऐसा करने की संस्तुति देना ।
17. बैंक खाते का संचालन एकल हस्ताक्षर से करना ।
18. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना तथा नये सदस्यों को बनाना ।
19. ट्रस्ट के विकास हेतु दान–अनुदान, चंदा, सदस्यता शुल्क प्राप्त करना तथा उसकी यथाविधि रसीद देना ।

अध्यक्ष :—

1. सभी प्रकार के बैठकों की अध्यक्षता करना ।
2. बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम रखना ।
3. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना ।
4. मैनेजिंग ट्रस्टी/मैनेजर की अनुपस्थिति में अध्यक्ष कार्य करेगा व सहयोग प्रदान करेगा।

सचिव :—

1. ट्रस्ट की ओर से पत्र व्यवहार करना ।
2. ट्रस्ट की कार्यवाही लिपिबद्व करना ।

धीरेन्द्र प्रताप सिंह

Neelam
PRINCIPAL
D. S. Public School
Haliyapur,Sultanpur (U.P.)

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
Manager
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur(U.P.)

Scanned with OKEN Scanner

PDF Scanner ACE Scanner

3. बैठक का एजेण्डा तैयार करना ।
4. ट्रस्ट के बैठकों की सूचना ट्रस्ट के सदस्यों को लिखित रूप में देना ।
5. बैठकों के लिए दिनांको का अनुमोदन करना परिवर्तन करना ।
6. कोषाध्यक्ष के आय व्यय का निरीक्षण करना तथा अपने रिपोर्ट से मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक को अवगत कराना ।

कोषाध्यक्ष :—

1. ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना ।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित बिलों का भुगतान करना ।
3. आवश्यकतानुसार आडिट कराना व अपनी रिपोर्ट से मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक को अवगत कराना ।

16. ट्रस्ट के अभिलेख :—

ट्रस्ट के समस्त अभिलेख जैसे— सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, कैश बुक एवं अन्य अभिलेख **मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक** के पास होगा ।

17. ट्रस्ट का कोष :—

ट्रस्ट का कोष किसी भी मान्यता प्राप्त/राष्ट्रीयकृत बैंक/पोस्ट आफिस में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसका संचालन **मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक** द्वारा स्वयं किया जायेगा ।

18. ट्रस्ट के आय–व्यय का लेखा परीक्षण/आडिट :—

ट्रस्ट के आय–व्यय का परीक्षण/आडिट किसी योग्य आडीटर द्वारा वर्ष में एक बार कराया जायेगा जिसकी नियुक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के निर्णय से होगा । हर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होगा ।

19. ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरुद्व अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:—

ट्रस्ट द्वारा होने वाले समान अदालती कार्यवाही की पैरवी **मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक** द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृति व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा की जायेगा ।

20. दायित्व :—

ट्रस्ट की प्रदत्त ऋणों की अदायगी उसकी उपयोगिता एवं सुरक्षा का दायित्व सभी सदस्यों का सामूहिक एवं पृथक–पृथक रूप से होगा और आवश्यकता पड़ने पर बाहरी दायित्वों के लिए सदस्य अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति जमानत में देंगे तथा यह दायित्व ऋण अदायगी तक बना रहेगा ।

धीरेन्द्र प्रताप सिंह

Neelam
PRINCIPAL
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur (U.P.)

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
Manager
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur (U.P.)

Scanned with OKEN Scanner

PDF Scanner ACE Scanner

21. ट्रस्ट का विघटन :—

ट्रस्ट के विघटन एवं विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इस आधार पर होगी कि यदि ट्रस्ट मण्डल के मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक की सहमति से ऋण की अदायगी व बकाये कर्जो का निस्तारण कर दिया जाय ।

ट्रस्ट के प्रबन्धकारिणी ट्रस्टीज के पदाधिकारियों/सदस्यों के नाम, पते, पद तथा जिनको इस ट्रस्ट में कार्यभार सौंपा गया है विवरण निम्नवत् है :——

क्रमांक	नाम पिता/पति का नाम	पद	पता	व्यवसाय
1	धीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री शम्भूशरण सिंह	प्रबन्धक	निवासी ग्राम व पोस्ट हलियापुर, तहसील बल्दीराय जनपद सुलतानपुर।	कृषि
2	शम्भूशरण सिंह पुत्र स्व0 श्यामबक्श सिंह	अध्यक्ष	उपरोक्त	कृषि
3	श्रीमती माधुरी सिंह पत्नी श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह	कोषाध्यक्ष	उपरोक्त	गृहिणी
4	शालिनी सिंह पुत्री श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह	सचिव	उपरोक्त	शिक्षण
5	अखिलेश प्रताप सिंह पुत्र श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य	उपरोक्त	नौकरी
6	अभिषेक प्रताप सिंह पुत्र श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह	सदस्य	उपरोक्त	कृषि

उक्त धीरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री शम्भूशरण सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट हलियापुर परगना इसौली तहसील बल्दीराय जनपद सुलतानपुर उ0 प्र0 के न्यासीगण न्यास संविधान नियमावली के अनुसार कार्य करने के हेतु वचनबद्व है एवं बिना बाहरी दबाव के स्वस्थ मन की स्थिति से आज दिनांक– 01.01.2021 द्वारा न्यासीगण बनना स्वीकार करते है । अतः न्यास बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय हो।

अतः मुझ मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा इस न्यास पत्र को दिनांक– 01.01.2021 को निष्पादित किया गया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवें।

धीरेन्द्र प्रताप सिंह

ह0 प्रथम मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक

मसविदाकर्ता :—
गणेश प्रसाद शुक्ल
एडवोकेट
मुसाफिरखाना, जनपद अमेठी ।

Ganesh Prasad Shukla
Advocate
Tehsil- Musafirkhana
Amethi (U.P.)

टाइपकर्ता :—
विपिन शुक्ल
मुसाफिरखाना जनपद अमेठी ।
01/01/2021

PRINCIPAL
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur (U.P.)

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
Manager
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur (U.P.)

Scanned with OKEN Scanner

PDF Scanner ACE Scanner

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202100912000021

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 22 के पृष्ठ 41 से 66 तक क्रमांक 1 पर दिनाँक 01/01/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भानु प्रताप सिंह
उप निबंधक : मुसाफिरखाना
अमेठी
01/01/2021

प्रिंट करें

PRINCIPAL
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur (U.P.)

धीरेन्द्र प्रताप सिंह
Manager
D. S. Public School
Haliyapur, Sultanpur(U.P.)

ACE Scanner